न्यायालय जिला न्यायाधीश, हरिद्वार।
प्रकीर्ण वाद संख्याः 53/2023,
श्रीमती भावना आदि बनाम श्रीमती सुदेशना उर्फ सुदेश आदि

दिनांकः 26–07–2023,

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर प्रार्थीगण की ओर से जूनियर अधिवक्ता श्री रजत चौहान और से अधिवक्ता श्री एन.एच. चौहान एवं विपक्षीगण की ओर से श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली के परिशीलन से किये जाने से विदित है कि विपक्षी संख्या–2 की ओर से श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता और विपक्षी संख्या–1 की ओर से श्री रविन्द्र सहगल अधिवक्ता का वकालतनामा संलग्न है, जबकि प्रश्नगत मामले में आपत्ति विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार द्वारा प्रस्तुत की गयी है। अतः पत्रावली पर संलग्न वकालतनामा उपरोक्त विपक्षी संख्या–1 को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी संख्या–2 के अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार को उपरोक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट किये जाने का अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते सुनवाई आज ही समय 1:00 पी.एम. पर पेश हो।

(सिकन्द कुमार त्यागी)
जिला न्यायाधीश, हरिद्वार।

1:00 पी.एम.

2 1:00 पी.एम. पर पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गयी, पुकार पर प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एन.एस. चौहान उपस्थित आये। उत्तरदाता संख्या–1 की ओर से श्री रविन्द्र सहगल अधिवक्ता व उत्तरदाता संख्या–2 की ओर से श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता उपस्थित आयें। उत्तरदाता संख्या–1 की ओर से अधिवक्ता श्री रविन्द्र सहगल के द्वारा आदेश पत्र के मार्जन पर धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति न होने का पृष्ठांकन किया गया। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को पुनः सुना गया। पत्रावली आज ही लंच बाद आदेश हेतु प्रस्तुत हो।

(सिकन्द कुमार त्यागी)
जिला न्यायाधीश, हरिद्वार।

लंच बाद,

3. संक्षेप में 4क प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की ओर से द्वारा अधिवक्ता यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया गया कि द्वितीय अपर सिविल जज हरिद्वार द्वारा मूलवाद संख्या 126/2019 श्रीमती भावना आदि बनाम श्रीमती सुदेशना आदि में

प्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को आलोच्य आदेश दिनांक 08–02–2023 से निरस्त किया गया था, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण को प्रकीर्ण सिविल अपील योजित करनी थी, इसी मध्य दिनांक 20–02–2023 में न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता श्री संजय कुमार यादव का हृदयगति रूक जाने के कारण स्वर्गवास हो गया। श्री संजय कुमार यादव प्रार्थी संख्या–1 के सगे जीजा एवं प्रार्थी संख्या–2 के सगे मौसा थे। उक्त सदमे के कारण समय से न्यायालय में प्रकीर्ण सिविल अपील योजित नहीं कर पाये। अपील योजित किये जाने में हुई देरी को क्षमा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. उत्तरदातागण की ओर उपरोक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध आपत्ति 13ग–2 प्रस्तुत की गयी और संक्षेप में यह कथन किया गया कि अपीलार्थीगण को प्रश्नगत आदेश की जानकारी दिनांक 08–02–2023 से पर्याप्त चली आती है। अपीलार्थीगण एंव संजय कुमार यादव अधिवक्ता जो अपीलार्थी संख्या–1 के सगे जीजा तथा अपीलार्थी संख्या–2 के सगे मौसा थे, अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–02–2023 से संतुष्ट थे, इसलिए अपीलार्थीगण ने आदेश दिनांक 08–02–2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने की कोई कार्यवाही नहीं की थी। आपत्ति में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 20–02–2023 में अधिवक्ता श्री संजय कुमार यादव की मृत्यु होने के बाद जानबूझकर उत्तरदातागण को तंग व परेशान करने की नीयत से दिनांक 16–03–2023 में अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 08–02–2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु आवेदन किया। अपीलार्थीगण ने अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–02–2023 की अपील में प्रावधानित समय के बाद प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये जानबूझकर दिनांक 16–03–2023 में आवेदन किया। अपीलार्थीगण ने देरी से आदेश दिनांक 08–02–2023 की नकल लेने का कोई संतोषजनक कारण दर्शित नहीं किया है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह चौहान अवर न्यायालय में भी चले आते थे, इसलिए भी अपीलार्थीगण द्वारा दिया गया देरी का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। अपीलार्थीगण के अनुसार संजय कुमार यादव अधिवक्ता की मृत्यु के सदमे के कारण समय से न्यायालय में अपील योजित नहीं कर सके, सही नहीं है, क्योंकि संजय कुमार यादव अधिवक्ता की मृत्यु दिनांक 20–02–2023 में हुई है। दिनांक 08–02–2023 से

20–02–2023 तक का कोई स्पष्टीकरण अपीलार्थीगण ने नहीं दिया। अपीलार्थीगण धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ अधिकार स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकते। प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. मेरे द्वारा प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण एवं उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

6. पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि दिनांक 22–03–2023 को प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रकीर्ण सिविल अपील मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम आलोच्य आदेश दिनांक 08–02–2023 के विरूद्ध योजित की गयी थी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के पुश्त पर सदर मुंसरिम की आख्या इस आशय की है कि प्रकीर्ण सिविल अपील योजित किये जाने में 12 दिन के विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। सदर मुंसरिम की आख्या के अनुसार प्रकीर्ण सिविल अपील 12 दिन के विलम्ब से इस न्यायालय में योजित की गयी है।

7. प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र में देरी का यह आधार लिया जाना प्रकट होता है कि प्रार्थी संख्या–1 के सगे जीजा व प्रार्थी संख्या–2 के सगे मौसा श्री संजय कुमार यादव अधिवक्ता का हृदय रूक जाने के कारण मृत्यु हो जाने से सदमे के कारण समय से न्यायालय में अपील योजित नहीं कर सके। अपील योजित किये जाने में हुई देरी को क्षमा किये जाने की प्रार्थना की गयी। जहां तक प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों का प्रश्न है, आपत्ति 12ग–2 में उत्तरदातागण द्वारा यह कथन किया जाना प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण एवं संजय कुमार यादव अधिवक्ता जो अपीलार्थी संख्या–1 के सगे जीजा तथा अपीलार्थी संख्या–2 के सगे मौसा थे, अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–02–2023 से संतुष्ट थे, इसलिए अपीलार्थीगण ने आदेश दिनांक 08–02–2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने की कोई कार्यवाही नहीं की थी। आपत्ति में यह भी कथन किया जाना प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण के अनुसार संजय कुमार यादव अधिवक्ता की मृत्यु के सदमे के कारण समय से न्यायालय में अपील योजित नहीं कर सके, सही नहीं है,

क्योंकि संजय कुमार यादव अधिवक्ता की मृत्यु दिनांक 20–02–2023 में हुई है। दिनांक 08–02–2023 से 20–02–2023 तक का कोई स्पष्टीकरण अपीलार्थीगण ने नहीं दिया। अतः प्रश्नगत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों एवं उपरोक्त विवेचना के दृष्टिगत प्रतीत होता है कि प्रार्थना पत्र में 13ग–2 आपत्ति में प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया, परन्तु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम में अधिवक्ता श्री संजय कुमार यादव की मृत्यु दिनांक 20–02–2023 को हो जाने कथन के बिन्दु पर विवाद किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः प्रश्नगत मामले के तथ्यों, परिस्थियितों एवं उपरोक्त समस्त विवेचना के दृष्टिगत प्रकट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील को योजित किये जाने में हुई देरी का सम्यक् कारण दर्शित किया गया है। अतः प्रश्नगत मामले के तथ्यों, परिस्थियितों एवं उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा प्रकीर्ण सिविल अपील योजित किये जाने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। पत्रावली बाद कार्यालय आख्या अंगीकरण पर सुनवाई हेतु दिनांक 28–07–2023 को प्रस्तुत हो।

(सिकन्द कुमार त्यागी)
जिला न्यायाधीश, हरिद्वार।